

कार्यालय जिला पंचायत, आजमगढ़

परमिट संख्या: ५६ / मानचित्र / शिप/२०२२-२३

दिनांक /३ अक्टूबर, २०२२

श्री मुरारी कालेज ऑफ फार्मसी
प्रबन्धक,
श्रीमती सुगन देवी
विकास खण्ड-पल्लनी
तहसील-सादर,
जनपद-आजमगढ़।

अनुज्ञा-पत्र

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.2022 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि मौजा-बलरामपुर, परगना-निजामाबाद, विकासखण्ड-पल्लनी, तहसील-सादर, जनपद-आजमगढ़ के गाटा संख्या- 253, 254 एवं 255 पर 5428.28 वर्ग मी० अक्षयक भूमि तथा गाटा संख्या- 249 एवं 253 पर 2623.00 वर्ग मी० अक्षयक भूमि इस प्रकार शीमान् उप जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कुल अक्षयक भूमि 8051.28 वर्ग मी० पर 30 वर्षों के लिए 3500.00 प्रति माह किराने पर ली गयी भूमि पर उचित विद्यालय निर्मित है। आजमगढ़

शहर-हाफिजपुर घौराहा मार्ग से

परिषद दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम-बलरामपुर, परगना-निजामाबाद, विकास खण्ड-पल्लनी, तहसील-सादर, जनपद-आजमगढ़ में निर्मित भवन श्री मुरारी कालेज ऑफ फार्मसी के कुल आधरवर्धित क्षेत्रफल 3588.52 वर्ग मी० पर प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति को इच्छित रखते हुए सम्बन्ध विधायक महोदय को 30 अक्टूबर महोदय द्वारा दिनांक 12/7/2022 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

श्री मुरारी कालेज ऑफ फार्मसी स्वीकृति दिनांक 12/7/2022 के अनुकूल में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत आजमगढ़ की भवन निर्माण समिति द्वारा सादाबाद शनिवार 12 मई, 2019 भाग-3 के खण्ड "घ" जिला पंचायत के उपबन्धों के अधीन तथा निम्नलिखित उपबन्धों/प्रतिबंध सहित स्वीकार किया जाता है।

1. अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा ली गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त नहीं जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा स्थल किया जा सकता है।
2. मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों से यथा आवश्यक लाइसेंस/अनामतित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यस्थल पर स्वीकृति मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कुशल एवं दक्ष आर्किटेक्ट/इंजीनियर की देख-रेख में कराना होगा।
3. प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माण अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सन्मुख मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
4. प्रतिबंध यह रहेगा कि आवेदक द्वारा सीबरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर जलमल/सीबरेज/उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाये।
5. प्रतिबंध यह रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लेण्ड कंट्रोल रुल्स/लोक निर्माण विभाग एवं सिविल विभाग के नियम यथावत लागू रहेंगे।
6. प्रतिबंध यह रहेगा कि विद्यालय भवन निर्माण कार्य मानचित्र के अनुसार कुल कवर्ड एरिया 3688.52 वर्ग मी० एवं ओपन एरिया 8217.02 वर्ग मी० से ही निर्माण कार्य प्रतिबन्धित होगा।
7. प्रतिबंध यह रहेगा कि कम से कम 9 फुट का दृश्यापन अतिक्रमण रुक से कराना होगा।





- अनुसार ही कसया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी/संस्था का होगा।
9. प्रतिबंध यह रहेगा कि भवन निर्माण अग्निभवन/सुखा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राधिकारों (अनिवार्य रूप से) को स्थानीय मुख्य अग्निभवन अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार कराया जायेगा।
 10. प्रतिबंध रहेगा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनवादेय मान्य होगा।
 11. प्रतिबंध यह रहेगा कि रेनवाटर हाईस्टिग पद्धति को अनिवार्य रूप से चुनिन्दा करना होगा।
 12. भवन निर्माण में श्रम विभाग के प्राधिकारों का धारण करते हुए आवश्यक शेत कर का भुगतान श्रम विभाग को भवन स्वामी/संस्था द्वारा करना होगा।
 13. स्वीकृति मानचित्र में इलेक्ट्रिक लाइन से ऊर्ध्वान्तर दूरी 3.70+(0.305मीटर) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज एवं 1.80+(0.305मीटर) प्रत्येक 33000 वोल्टेज पर क्षैतिज दूरी चुनिन्दा की जाएगी।
 14. राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रस्तावित स्थल की दूरी मार्ग के कर्ज से 07.10 मीटर और समकालीन मार्ग से अथवा गलियारे से 10 मीटर होना आवश्यक है।
 15. विद्यालय भवन में किसी शौचालय को गली की ओर खुला नहीं रखा जायेगा।
 16. शौचालय का निर्माण फ्लोर टाइम का होना चाहिए, जिसके लिये सेंट्रिक टैंक व ब्लोक पिट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
 17. भवन की कुर्सी भवन के निकट गली, सड़क आदि से या खुले स्थान की सतह से कम से कम 30 सेमीटर रखी जाय। ती गयी आज्ञा कंवल निर्माण के लिये होगी और इसका कथित भूमि की सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 18. निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु निर्गत अनुज्ञा के दिनांक से 05 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण उचित निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो आवेदक/संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर माओ अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः विचार कर निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में पुनः स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
 19. उपरोक्त स्वीकृति मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
 20. किसी भी प्रकार के भूमि व अन्य विवाद के उत्पन्न होने पर जिला पंचायत, आजमगढ़ इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय, आजमगढ़ होगा।
 21. स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त होगा।
 22. भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
 23. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कुल उपलब्ध अक्षयक भूमि 8051.28 वर्ग मीटर के सापेक्ष नू आच्छादन 1834.26 वर्ग मीटर अर्थात् कुल क्षेत्रफल का 22.78 प्रतिशत एवं कुल आच्छादित क्षेत्र 3688.82 वर्ग मीटर है, इस प्रकार स्वीकृत मानचित्र का एफओआर 0.45 है, जो कि जिला पंचायत आजमगढ़ भवन मानचित्र निर्माण उपविधि के निर्धारित प्रस्तारों में उल्लेखित नियमों के अनुरूप है।
 24. लेबर सेस का भुगतान एवं औपचारिकताएं श्रम विभाग के नियमों के अनुसार पूर्ण करने की जिम्मेदारी एवं संपूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा अन्यथा की स्थिति में बिना कारण बताए नगरे की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
 25. स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित एरिया सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे चकमार्ग, नाली, तालाब, मरघट, घासगाह व नवीन परती भूमि, आजमगढ़ की महायोजना से आच्छादित भूमि, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, अग्निभवन विभाग, वन विभाग, रेलवे विभाग व अन्य आवश्यक विभाग की भूमि होने पर स्वीकृति मानचित्र स्वतः निरस्त ही जायेगा।
 26. संलग्नक: मानचित्र 03 प्रतिद्वी में।


 जिला पंचायत, आजमगढ़


 अपर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत, आजमगढ़